

हिन्दी दिवस संदेश

प्रिय एनएसआईसी सहयोगियों,

आप सभी को हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

जैसा कि आप सभी को विदित है, कि संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी, 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि संघ की राजभाषा हिन्दी होगी और लिपि देवनागरी होगी। हिन्दी एक ऐसी भाषा है, जिसमें भारतीय जनमानस की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है। हिन्दी ने ही संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर अनेकता को एकता की भावना को आम जनता में निरंतर जागृत बनाए रखा है। देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने से दूर दराज के क्षेत्रों, गांवों के पिछड़े इलाकों के लोगों से सरलता से सम्पर्क किया जा सकता है। संघ की राजभाषा नीति का आधार शैक्षणिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक उन्नति के अवसरों के साथ-साथ सदभावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन देना भी है। हिन्दी संघ की राजभाषा होने के कारण हम सभी का दायित्व है कि कार्यालय के दिन-प्रतिदिन के कामकाज को हिन्दी में करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें।

हमारा निगम देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है। ऐसे में हम सभी का यह संवैधानिक दायित्व बनता है कि हम औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं को

हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाकर केन्द्र सरकार द्वारा जारी राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन ठीक उसी प्रकार दृढ़ता और तत्परता के साथ करें, जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

आज इस पावन अवसर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मैं आशा करता हूं कि सभी अपना ज्यादा से ज्यादा सरकारी काम-काज पूरे मनोयोग और गर्व के साथ हिन्दी में करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक सार्थक एवं अथक प्रयासों से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेंगे।

आप सभी को हिन्दी दिवस 2024 के अवसर पर पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।

ह.

(डॉ. शुभांशु शेखर आचार्य)

सितम्बर 14, 2024